

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 0-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलारा रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व चाद संख्या : 82/2021

गण-

1. सम्पत देवी पत्नी नेनाराम उर्फ नेमाराम पुत्र हुक्मराम
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व.नेमाराम ना.वा संरक्षक जरिये माता सम्पत देवी
जाति-जाट निवासी-छापड़ा, तहसील जायल जिला- (नागौर)

बनाम

वादीगण -

1. हुक्मराम पुत्र हीराराम
2. आसाराम पुत्र हुक्मराम
3. पतासी पुत्री हुक्मराम
जातियान-जाट निवासी-छापड़ा तहसील जायल जिला - (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका व मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -
वादी सम्पतदेवी, सुरेन्द्र (संरक्ष जरिये सम्पतदेवी माता) के हक बंट में मौजा छापड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 14 की सम्पूर्ण भूमि (वराबर-2) घोषित की जाती है।
प्रतिवादी हुक्मराम के हक बंट में मौजा छापड़ा तहसील के खसरा नं. 652, 653 यथावत् घोषित किया जाता है।
प्रतिवादी संख्या 2 आसाराम के हक बंट में मौजा छापड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 620, 621/1 यथावत् घोषित किया जाता है।
प्रतिवादी संख्या 3 के हक बंट में वादग्रस्त खेतार्यों में से किसी प्रकार की भूमि नहीं रखे जाने से उनके हकतर्क के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर

5
11/10/2021

प्रभारी अधिवक्ता
प्रशासन शांति के सज अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, जायल

नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही तहसीलदार जायल सुनिश्चित करे।
खातेदार भंवरी पत्नी आसाराम की खातेदारी में वर्णित भूमि खसरा नं. 606 यथावत् रखी जाती है।

SAV
11/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
तालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...11/10/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मैजान			मैजान		

इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
प्लाय गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

SAV
11/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गावों के सज अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, जायल